राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्त्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

कमांक एफ.3[illegible]([illegible])आउ./एमएसएमई/[illegible]/2018 दिनांक 09.08.2018

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम क्षेत्र इकाइयो के द्वारा राज्य के औद्योगिक वातावरण को समृद्ध करने में उनके योगदान को चिन्हित करने एवं नये उद्यमियो तथा बुनकर एवं हस्तशिल्पियो को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से **राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार योजना** प्रारम्भ की गई है। इस योजना के तहत राज्य के तीन वर्ष या अधिक समयावधि से कार्यरत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमो को चार श्रेणियो में 12 राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार एवं 1–1 राजस्थान हस्तशिल्प रत्न एवं राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान है। प्रत्येक चयनित उद्यमी को **1 लाख रु. के नकद पुरस्कार के साथ प्रशस्ति पत्र व शॉल** भेंट कर सम्मानित किया जायेगा। इस पुरस्कार के लिये **आवेदन करने की अंतिम तिथि** 29 जून 2018 थी जिसे बढाकर **23 अगस्त 2018 कर दी गई** है। इच्छुक उद्यमी आवेदन पत्र के प्रारुप एवं विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाईट **www.industries.rajasthan.gov.in** का अवलोकन करे। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय आयुक्त उद्योग की एम.एस.एम.ई. अनुभाग, समस्त जिला उद्योग केन्द्रो एवं प्रमुख उद्योग संघो से सम्पर्क किया जा सकता है। वेबसाईट पर उपलब्ध आवेदन पत्र पूर्ण कर मय दस्तावेजो के संबंधित जिला उद्योग केन्द्रो में दिनांक 23.08.2018 से पूर्व आवश्यक रुप से जमा करवाये। पूर्व में आवेदन करने वाले उद्यमियो को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नही है।

(डा. समित शर्मा)
आयुक्त उद्योग

प्रतिलिपिः

1. संयुक्त निदेशक, कम्पयूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर उचित स्थान पर अपलोड करावे।
2. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क, को प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति समस्त राज्य व राष्ट्रीय स्तरीय समाचार पत्रो एवं जन सम्प्रेषण माध्यमो (आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि) के निशुल्क प्रकाशित/प्रसारित करावे।
3. महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, समस्त को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त विज्ञप्ति का स्थानीय समाचार पत्रो एवं अन्य संचार माध्यमो के जरिये व्यापक प्रचार प्रसार करावें एवं औद्योगिक संघो एवं उत्कृष्ट उद्यमियो से सम्पर्क कर योग्य आवेदको के आवेदन पत्र तैयार कर समुचित जांच के उपरान्त उचित अनुसंषा के साथ दिनांक 25.08.2018 तक इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।

(पी.के.जैन)
अतिरिक्त निदेशक,उद्योग

150

राजस्थान–सरकार
उद्योग(ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प. 1 (14) उद्योग/ग्रुप–2/2014 दिनांक 16/09/2016

अधिसूचना

राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार योजना

1. प्रस्तावना

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र द्वारा राज्य के औद्योगिक, सामाजिक, आर्थिक एवं व्यापारिक उत्थान में काफी सहयोग प्रदान किया जा रहा है। राज्य की एमएसएमई तथा वृहद इकाइयों के द्वारा निरन्तर प्रगति की जा रही है और प्रगति के साथ अपने उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार कर बाजार की मांग के अनुरूप नवीन उत्पाद तैयार कराकर राज्य के निर्यात में भी वृद्धि की जा रही है। आयात के सबस्टीट्यूट उत्पाद भी राज्य में निर्मित किये जा रहे हैं। सूक्ष्म, लघु, मध्यम क्षेत्र इकाइयों के द्वारा राज्य के औद्योगिक वातावरण को बनाने एवं नये उद्यमियों को प्रोत्साहित करने में विशेष योगदान दिया जा रहा है। अतः लम्बे समय से राज्य के औद्योगिक विकास एवं आर्थिक उत्थान में सहयोग करने वाले उद्यमियों को पुरस्कृत/सम्मानित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

2. योजना का नाम

योजना का नाम "राजस्थान उद्योग रत्न" पुरस्कार योजना होगा। योजना वित्तीय वर्ष 2016–17 से लागू होगी।

3. उद्देश्य

राज्य में औद्योगिक रत्न पुरस्कार योजना लागू किये जाने का मुख्य उद्देश्य राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को तीव्र गति दिया जाना है एवं इन तीन श्रेणियों के सर्वश्रेष्ठ उद्योगों को पुरस्कृत करना जिससे कि वह अन्य उद्योगों के प्रेरणा स्त्रोत बनें

व उद्यमियों में एक नई जागृति का संचार होगा, जिससे वे अपने उत्पादों की गुणवत्ता/क्षमता/उत्पाद विकास एवं प्रर्यावरण संरक्षण, जैसे बिजली पानी आदि की बचत, के लिए भी प्रोत्साहित होंगे साथ महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना एवं राष्ट्रीय स्तरीय राज्य के सर्वश्रेष्ठ बुनकर एवं हस्तशिल्पियों को सम्मानित किया जा सके।

4. पुरस्कार की श्रेणी

राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार राज्य में स्थापित एमएसएमई एक्ट, 2006 में एक्नोलेजमेंट/उद्योग आधार प्राप्त समस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र में कार्यरत् उद्यमों को प्रत्येक श्रेणी के लिए पृथक–पृथक **राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार** से सम्मानित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उद्योग रत्न अवार्ड वर्ष के पूर्व के वर्ष में वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित बुनकरों एवं हस्तशिल्पियों को भी कमशः राजस्थान बुनकर रत्न पुरूस्कार तथा राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरूस्कार से योजनान्तर्गत पुरस्कृत किया जाएगा।

अनुलग्न–ए के अनुसार सूक्ष्म उद्योग श्रेणी में 4 वर्गों में प्रत्येक में 1–1, लघु उद्योग श्रेणी में 4 वर्गों में प्रत्येक में 1–1 तथा मध्यम उद्योग श्रेणी के 4 वर्गों में प्रत्येक में 1–1 उद्यमि को प्रतिवर्ष इस पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा। इस प्रकार प्रति वर्ष कुल 12 उद्यमों को राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त 1 हस्तशिल्पि को तथा 1 बुनकर को कमशः हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार तथा बुनकर रत्न पुरस्कार से प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाएगा।

इस प्रकार कुल पुरूस्कार हेतु चयनितों की संख्या 14 होगी।

एक बार उक्त पुरूस्कार प्राप्त करने के बाद कोई उद्यम इस हेतु भविष्य में पुनः योजनान्तर्गत आवेदन नहीं कर सकेगा।

5. पात्रता

राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार प्राप्त करने के लिए राज्य में एमएसएमई एक्ट, 2006 में उद्योग आधार प्राप्त समस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी में स्थापित एवं विगत 3 वर्षों से निरन्तर कार्यरत उद्यम पात्र होंगे। ऐसा कोई भी उद्यम पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगा जो कि अपने उत्पादन के आरम्भ के बाद या वर्तमान में कभी भी किसी कारणवश कम से कम 6 माह तक बंद रहा हो और उसके बाद पुनः चालू हो गया हो, परन्तु पुनः चालू होने के 3 वर्ष पश्चात् ऐसा उद्यम पुनः आवेदन करने के लिए पात्र हो

जायेगा। यह प्रावधान रुग्ण घोषित इकाइयों के लिए लागू नहीं होगा। आर्टीजन्स एवं बुनकरों की दशा में वस्त्र मंत्रालय भारत द्वारा द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित एवं पुरस्कृत आर्टीजन्स एवं बुनकर ही अवार्ड हेतु पात्र होंगे।

6. पुरस्कार हेतु चयन

पुरस्कार हेतु राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर आवेदनपत्र आमन्त्रित किये जायेंगे। जिला स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच जिला उद्योग केन्द्र स्तर पर की जाकर महाप्रबन्धक अपनी अभिशंषा के साथ आवेदन पत्र मुख्यालय को प्रेषित करेंगे। आवेदन पत्रों के अनुसार पुरस्कारों के चयन हेतु 2 स्तरीय चयन समितियों का गठन किया जायेगा। इन समितियों का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार होगा :–

राजस्थान उद्योग रत्न प्रारम्भिक चयन समिति

1.	आयुक्त / निदेशक, उद्योग	अध्यक्ष
2.	निदेशक, एमएसएमई विकास संस्थान, 22 गोदाम,जयपुर का प्रतिनिधि जो उपनिदेशक उद्योग के स्तर से कम न हो।	सदस्य
3.	2 स्माल स्केल इंण्डस्ट्रियल एसोसिएशंस के पदाधिकारी (अध्यक्ष या सचिव दोनो में से एक ही व्यक्ति चयन समिति का सदस्य हो सकेगा)	सदस्य
4.	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर(शहर), जोधपुर एवं उदयपुर	सदस्य
5.	संयुक्त निदेशक उद्योग के स्तर से कम न हो।	सदस्य सचिव

यह समिति पुरस्कार हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करेगी एवं जांच पश्चात् संलग्न सूची (अनुलग्न–डी) के अनुसार सभी प्राप्त आवेदन पत्रों पर अंक आवंटित करेगी। न्यूनतम 60 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाली इकाइयों को अपनी अभिशंषा के साथ राज्य स्तरीय चयन समिति को प्रेषित करेगी। आर्टीजन्स एवं बुनकरों की दशा में वस्त्र मंत्रालय भारत द्वारा द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित एवं पुरस्कृत आर्टीजन्स एवं बुनकर ही अवार्ड हेतु चयनित होंगे।

राज्य स्तरीय राजस्थान उद्योग रत्न चयन समिति

1.	प्रमुख शासन सचिव, एमएसएमइ / उद्योग	अध्यक्ष
2.	संयुक्त शासन सचिव / उप शासन सचिव, उद्योग	सदस्य
3.	प्रबन्ध निदेशक, रीको लि.	सदस्य
4.	निदेशक, एमएसएमई, विकास संस्थान, भारत सरकार	सदस्य
5.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सिडबी, उमराव कॉम्पलेक्स,एमआई रोड, जयपुर	सदस्य
6.	राज्य स्तरीय लघु उद्योग संघ के पदाधिकारी –2 (अध्यक्ष या सचिव दोनो में से एक ही व्यक्ति चयन समिति का सदस्य हो सकेगा	सदस्य
7.	आयुक्त, उद्योग	सदस्य सचिव,

यह समिति पुरस्कार हेतु प्रारम्भिक चयन समिति की अभिशंषा उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार हेतु उद्यमियों का चयन करेगी,

जिसका अन्तिम अनुमोदन माननीय उद्योग मंत्री, राजस्थान सरकार से कराया जायेगा। उद्यमी के राजस्थान उद्योग रत्न हेतु चयन उपरांत पुरस्कार देने से पूर्व पुलिस द्वारा सत्यापन कराकर प्रमाण पत्र लिया जावेगा कि वह किसी भी प्रकार के अपराध में लिप्त नहीं है।

7. <u>पुरस्कार हेतु चयन का आधार</u>

राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार हेतु राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणियों के उत्कृष्टतम् उद्यमियों को **<u>अनुलग्न ए</u>** में उल्लखित क्षेत्रों में उनके द्वारा किये गये उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर **<u>अनुलग्न डी</u>** में दिये गये मापदण्डों(Parameters) एवं इन मापदण्डों में दी गयी मार्किंग के आधार पर समितियों द्वारा चयन किया जायेगा। आर्टीजन्स एवं बुनकरों की दशा में वस्त्र मंत्रालय भारत द्वारा द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित एवं पुरस्कृत आर्टीजन्स एवं बुनकर ही अवार्ड हेतु चयन किया जाएगा।

8.. <u>पुरस्कार की राशि एवं मद</u>

राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार में चयनित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमों को पृथक–पृथक 1 लाख रू. तथा आर्टीजन्स एवं बुनकरों को भी 1 लाख रूपये प्रत्येक को नकद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र एवं शाल प्रदान कर सम्मानित किया जायेगा।

9. <u>पुरस्कार की अवधि एवं वितरण</u>

राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार प्रत्येक वर्ष के लिए प्रदान किया जायेगा। इस हेतु आवेदन पत्र 1 मई से 30 मई के मध्य स्वीकार किये जायेंगे एवं पुरस्कार MSME दिवस/राजस्थान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में अथवा किसी उचित दिवस पर प्रदान किया जायेगा।

10. <u>आवेदन की प्रकिया</u>

राज्य में उत्पादनरत् उद्यम अपना आवेदन संलग्न प्रारूप (<u>अनुलग्न–बी</u>) में प्रस्तुत करेंगे। उद्यम अपना आवेदन पत्र जिले में कार्यालय महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र में निर्धारित तिथि तक व्यक्तिशः अथवा ऑन लाईन प्रस्तुत कर सकेंगे। ऑन लाईन आवेदन करने पर मूल आवेदन पत्र (हार्ड प्रति) डाक के माध्यम से भी प्रेषित करना होगा। बुनकरों एवं आर्टीजन्स को अपना आवेदन(<u>अनुलग्न–सी</u>) में प्रस्तुत करना होगा।

11. प्रशासनिक विभाग

योजना का क्रियान्वयन कार्यालय आयुक्त, उद्योग द्वारा किया जायेगा एवं उद्योग (ग्रुप–2) विभाग योजना का प्रशासनिक विभाग होगा जिसे योजना में आवश्यक संशोधन / परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(शुचि शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव

Annexure-A

Category

I. Micro Industrial Sector

1. Best in Growth of Business in terms of turnover.
2. Best Business practices-includes compliance in Environment Parameters, adoption of energy conservation practices, adoption of new technology, measures to increase labour productivity and finally employee welfare.
3. Best Women Entrepreneur(As per annexure-E)
4. Best turn around and revival of sick industry.

II. Small Industrial Sector

1. Best in Growth of Business in terms of turnover.
2. Best Business practices-includes compliance in Environment Parameters, adoption of energy conservation practices, adoption of new technology, measures to increase labour productivity and finally employee welfare.
3. Best Women Entrepreneur(As per annexure-E)
4. Best turn around and revival of sick industry.

III. Medium Industrial Sector

1. Best in Growth of Business in terms of turnover.
2. Best Business practices-includes compliance in Environment Parameters, adoption of energy conservation practices, adoption of new technology, measures to increase labour productivity and finally employee welfare.
3. Best Women Entrepreneur(As per annexure-E)
4. Best turn around and revival of

IV. **Rajasthan Bunkar Ratna Award-** Award will be given to the outstanding Bunkars, who are the recipient of National Awards by Ministry of Textiles, GoI.

V. **Rajasthan Handicraft Ratna Award-** Award will be given to the outstanding Artisans, who are the recipient of National Awards by Ministry of Textiles, GoI.

Annexure-B

Type of Unit: Micro/Small/Medium
Category: ____________________ (See annexure A)

(Application Form to be submitted in duplicate)

Please affix one passport size photo and attach two extra in a plastic cover. Write your name on the back of the extra photos.

General Information
PART-I

To
The General Manager,
District Industries Centre,
----

1. Name of Entrepreneur (Both in Hindi –English – Capital Script)

(Hindi): ....
....

(English): ....
....

....

2. Name and address of Enterprise

(Hindi): ....
....
....
जिला.................... राज्य .... पिनकोड ....

(English): ....
....
....
District ....State.................................
Pincode....................

STD Code & Telephone Numbers:
Tel. (O): ....
Tel. (R): ....
Mobile No.: ....
Fax No.: ....
E-Mail ....

3. Date of Birth:

d	d	m	m	y	y	Age (In Years)	years	

4. Whether the Entrepreneur belongs to SC/ST? YES/NO
If yes, attach certificate Enclose as Annexure-1

5. Educational/Professional Qualification of Entrepreneur
(If required use separate sheet and attach the documentary proof)

6. Type of Enterprise Please (✓) Mark: (Micro/Small/Medium)

7. Category (Product Group) --

8. MSME Registration No./E.M. No. Part II/Udhyog Aadhar Memorandum(UAM) of Enterprise: (Enclose copy of Certificate) Enclose as Annexure-2

(a) Number:														
(b) Date:														

9. Date of Commencement of production/Services. ....

10. Name of **Products manufactured** (Enclosed Photos/Leaflets also): Enclose as Annexure-3
....
....
....
....

11. **Production for the last 3 preceding years** (Rs. In lacs.)

Item(s)	Year		

Enclose CA Certificate as Annexure-4

12. **Turnover for the last 3 preceding years** (Rs. In lacs.)

Item(s)	Year		

Enclose CA Certificate as Annexure-5

13. **Exports for the last 3 preceding years** (Rs. In lacs.)

Item(s)	Year		

Enclose CA Certificate as Annexure-6

14. Have you ever been awarded Quality Award earlier by Govt. of India/GoR YES/NO
if yes, please give the name and year of Award. Enclose copy of certificate
Enclose as Annexure-7

....

15. Please give an affidavit on non-judicial stamp paper duly attested by Notary that you have cleared your income tax/excise/customs/VAT dues.
Enclose as Annexure-8

Please give an affidavit on non-judicial stamp paper duly attested by Notary that Enterprise/entrepreneur is not involved in any Economic or other offence for which legal action/enquiry is pending Enclose as Annexure-9

Part-II

(Progress & Achievements) (in last 3 preceding years)

Items	III	II	I
Original investment in Plant & *Machinery/Equipment (Rs. in lakh) cumulative* upto 31st March			
No. of Employees as on end of last year(31st March)			
Value of Annual Sales of Products/Services/Job Work (Rs. in lakh)			
Net Profit (after taxes (Rs. in lakh)			
Export-Direct/ (Rs. in lakh)			
R & D Expenditure (Rs. In lakh)			
(i) Investment in Plant & Machinery & Equipment for R & D			
(ii) Recurring R & D expenditure			

Enclose C.A. Certificate in original for each year as annexure- 10

I: **Employment**

1. Please give the details **including total no. of the employees** year wise during the year 3 preceding years and attach documentary proof & certified by Chartered Accountant.
Enclose as Annexure-11
2. *Whether any **reward scheme introduce for employees** for innovation (leading quality* circle/leading to productivity)? If yes, give details & expenditure thereof with supporting documents.
Enclose as Annexure-12
3. Whether any **training provided to staff/official to upgrade their skill**. Please give details and the documentary evidence with expenditure. Enclose as Annexure-13
4. **Employee Welfare Measures**. Give details with supporting document with **expenditure also.**
(i) **ESI**

(ii) **CPF Bonus/other** Enclose as Annexure-14

II. Technology

1. Please give details whether technology involved for innovation is through innovate efforts or R&D Efforts(attach the certificate/documentary evidence) Enclose as Annexure-15
2. Innovation Efforts. Please give details and attach the documentary evidence.
   i. Product Development
   ii. Process Development Enclose as Annexure-16

3. Use and Choice of Technology
   a. Whether the technology employed is developed with own R&D? If yes, give details of how how have developed the same and how it is superior to conventional. Give details with Expenditure thereof and attach documentary proof.
   b. Technology obtained from NRDC/CSIR/Any other R&D Institutions/ Imported. Give details and attach documentary proof.
   c. Conventional. Give details and attach documentary proof,

   Enclose as Annexure-17

III. Environment& Pollution Control

1. Please give detail whether enterprise has adopted any procedure for disposal of waste generated during manufacturing. Please attach documentary evidence.
   Enclose as Annexure-18
2. Whether innovation conserves energy? If yes, give details with supporting documents.
   Enclose as Annexure-19
3. Have you taken measures for pollution control? If yes, give details with supporting documents. (If measure is not applicable, enclose copy of NOC/exemption notification from the competent authority.) Enclose as Annexure-20
4. Whether Enterprise implemented Energy Conservation Techniques. Please give details with documentary evidence. Enclose as Annexure-21
5. Do you adopt. Safety Measure. Please given details with supporting documents.
   Enclose as Annexure-22

IV. Research & Development

1. Details of Research and Development- Please explain whether R&D is product development of process/design development. What exactly is novel about your R&D?
   Enclose as Annexure-23
2. Give the details of Recurring R&D expenditure for last three years certified by CA
   Enclose as Annexure-24
3. Qualification as on 31st March of the year of the R&D personnel associated with achievements made by him/her in the R&D (attach certificate of qualification)
   Enclose as Annexure-25
4. Please give detail, whether technology involved in R&D is a completely new technology or new combination of existing technology (attach the certificate/documentary evidence)
   Enclose as Annexure-26

5. Details of patents/designs/copyrights obtained or applied for as on 31st March of the year (attach the certificate/documentary evidence) Enclose as Annexure-27

V. Management System

1. Whether Enterprise has adopted 5S system? Please give details with documentary evidence. Enclose as Annexure-28
2. Whether Enterprise has implemented Standard Operating Procedures (SOPS)? Please give details with documentary evidence. Enclose as Annexure-29
3. *Whether Enterprise has implemented Enterprise Resource Planning (ERP) system? Please* give details with documentary evidence. Enclose as Annexure-30
4. Whether Enterprise implemented POKA – Yoke instruction? Please give details with documentary evidence. Enclose as Annexure-31
5. Whether Enterprise implemented Bar Code System? Please give details with documentary *evidence. Enclose as Annexure-32*

VI. Quality and Standards

1. Standardization-
   i. Has enterprise obtained BIS mark/international standard/CE/ULA/ equivalent *(DGQA, RDSO, GMP/BEE etc.) Please give details and attach the documentary* evidence. Enclose as Annexure-33
   ii. Whether innovated product is equivalent any other standards, please give details and attach the documentary evidence. Enclose as Annexure-34
   iii. Whether innovated product confirm to enterprise's/user's specification. Please give details and attach the documentary evidence. Enclose as Annexure-35
2. Is your enterprise certified for ISO: 9000/14000/18000/22000/HACCP/GMP/other equivalent Certification? If yes, give details and attach documentary proof, (for the period 2013-14, 14-15,15-16) Enclose as Annexure-36

VII. Taxes Paid in last 3 preceding years.

(Rs. in Lacs)

	III	II	I
Import Duty(Customs Duty			
Central Excise Duty			
VAT			
Service Tax			

CA Certificate enclose as Annexure-37

VIII. Other

1. Future Plan/Vision (Vision to develop the enterprise through increase of (i) Production(ii)Quality & (iii) Market. Please give details and attach the documentary evidence. Enclose as Annexure-38
2. Please give write up of not more than 300 words about yourself, your enterprise and the products(s) manufactured/service(s) rendered by indicating your achievements to justify as to why your application deserves to be considered for the award. Enclosure as Ann.-39

Note: **Please enclose all the documents** Valid *for the period from* **1st April to 31st March (in last 3 preceding years)**
All the claims should be supported with documents/reports/certificates etc.

I certify that the above information furnished by me is correct. I undertake to refund the certificate, if awarded to me, in case it is ever found that the information furnished above was incorrect. Further I may also be liable for any action under the law of the land for any false declaration.

Place **SIGNATURE OF THE ENTERPRENEUR**
Date **SEAL OF THE ENTERPRISE**

ANNEXURE-C

Photograph

DETAIL FORM for Bunkars & Artisans Ratna Award

Name :

Father's Name :

Address :

Mobile :

Email Address :

Website :

Qualification :

Date of Birth :

Artisans ID /Bunkar ID Card :

Addhar card No :

Nature of Art : Description of Arts in 150 Words (Pl. enclose self-attested separate sheet with rubber stamp

Achievements :

Contribution for the Development of the Art :

National Award

1. Year for section in National Award (Attach self certified copy)
2. Art, for which the National Awards is given

Signature & Seal

Annexure-D

Parameters/Criterions for the selection of Rajasthan Udhyog Ratna Award

I & II Micro/Small Industrial Sector

1. **Best in Growth of Business in Terms of Turn over**
2. **Best Women Entrepreneur**

Micro				Small	
Particular	Maximum Marks	Particular of Marks	Marks	Particular of Marks	Marks
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Turnover in Award year	20	Upto Rs. 25 lacs	2.5	Upto Rs. 50 lacs	2.5
		Rs. 25 lacs upto Rs. 50 lacs	5.0	Rs. 50 lacs upto Rs. 75 lacs	5.0
		Rs. 50 lacs upto Rs. 75 lacs	7.5	Rs. 75 lacs upto Rs. 1 Cr.	7.5
		Rs. 75 lacs upto Rs. 1 Cr.	10.0	Rs. 1 Cr. lacs upto Rs. 1.50 Cr.	10.0
		1 Cr. upto 1.25 Cr.	12.5	1.50 Cr. upto 1.75 Cr.	12.5
		1.25 Cr. upto 1.50 Cr.	15	1.75 Cr. upto 2 Cr.	15
		Above1.50 Cr.	20	Above 2 Cr.	6
Increase in Turnover	30	Upto 25% increase	6	Upto 25% increase	12
		Above 25% Upto 50% increase	12	Above 25% Upto 50% increase	18
		Above 50% Upto 75% increase	18	Above 50% Upto 75% increase	24
		Above 75% Upto 100% increase	24	Above 75% Upto 100% increase	30
		Above 100%	30	Above 100%	6
Production in Award year	20	Upto Rs. 25 lacs	2.5	Rs. 25 lacs upto Rs. 50 lacs	2.5
		Rs. 25 lacs upto Rs. 50 lacs	5.0	Rs. 50 lacs upto Rs. 75 lacs	5.0
		Rs. 50 lacs upto Rs. 75 lacs.	7.5	Rs. 75 lacs upto Rs. 1 Cr.	7.5
		Rs. 75 lacs upto Rs. 1 Cr.	10.0	Rs. 1 Cr. lacs upto Rs. 1.50 Cr.	10.0
		1 Cr. upto 1.25 Cr.	12.5	1.50 Cr. upto 1.75 Cr.	12.5
		1.25 Cr. upto 1.50 Cr.	15	1.75 Cr. upto 2 Cr.	15
		1.50 Cr. & above	20	Above 2 Cr.	20
Increase in Production	30	Upto 25% increase	6	Upto 25% increase	6
		Above 25% Upto 50%	12	Above 25% Upto 50%	12

		increase		increase	
		Above 50% Upto 75% increase	18	Above 50% Upto 75% increase	18
		Above 75% Upto 100% increase	24	Above 75% Upto 100% increase	24
		Above 100%	30	Above 100%	30

3. **Best Business practices-includes compliance in Environment Parameters, adoption of energy conservation practices, adoption of new technology, measures too increase labour productivity and finally employee welfare.**

Micro		Small	
Particular	Maximum Marks	Particular	Marks
1.	2.	3	4
Procedure adopted for disposal of waste generated during manufacturing.	10	Procedure adopted for disposal of waste generated during manufacturing.	10
Innovation for conserves the energy	10	Innovation for conserves the energy	10
Measures taken for pollution control	10	Measures taken for pollution control	10
Implementation of Energy Conservation Techniques.	10	Implementation of Energy Conservation Techniques.	10
Adoption of new technology	20	Adoption of new technology	20
Measures for increase labour productivity	20	Measures for increase labour productivity	20
Employees Welfare	20	Employees Welfare	20
Total	100	**Total**	100

4. **Best turn around and revival of sick industry.**

Highest turnover of the award year in the applications received.

IV & V. PARAMETERS/CRITERIONS FOR THE SELECTION OF RAJASTHAN BUNKA RATNA & HANDICRAFT RATNA AWARD

S.No.	Particular	Marks
1.	PadamVibhushan/Padam Bhushan Padma Shree	35
2.	Shilp Guru/Sant Kabir Award	25
3.	National Award	20
4.	State Award	10
5.	Achievements	10
	Total	100

अनुलग्न– ई

Women Entrepreneur(महिला उद्यमी)

1. एकल महिला(Proprietary) उद्यम- 100 % पर ही महिला उद्यम वर्ग में आवेदन पर विचार किया जाएगा।

2. साझेदारी उद्यम– 51 % से अधिक की इक्विटी महिला भागीदारों की होने पर ही महिला उद्यम वर्ग वर्ग में आवेदन पर विचार किया जाएगा।

3. कंम्पनी/लिमिटेड/प्राइवेट लि0 के उद्यम में 51% से अधिक की इक्विटी महिला की होने पर तथा तथा कम्पनी की प्रर्वतक महिला होने पर ही महिला उद्यम वर्ग में आवेदन पर विचार किया जाएगा।

नोटः– इन उद्यमों में कुल नियोजन में 10% से अधिक महिला कार्मिक एवं श्रमिकों होने चाहिए।

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्त्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

कमांक प031 ( )आ.उ. / एमएसएमई / 2016 दिनांक 26.09.2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ शासन सचिव, उद्योग–2 विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय–2), राजस्थान, जयपुर।
6. विशेषाधिकारी, आयोजना विभाग।
7. निदेशक, वित्त(बजट) विभाग।
8. वित्तीय सलाहकार, उद्योग।
9. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. उद्योग(पीपीसी) विभाग।
11. निदेशक, जनसंपर्क, राजस्थान, जयपुर।
12. राजस्थान सूचना केन्द्र, जयपुर।
13. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र(समस्त)।
14. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को मय सीडी गजट नोटीफिकेशन बाबत।
15. संयुक्त निदेशक, उद्योग(कम्प्यूटर) मय सीडी विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
16. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक, उद्योग

राजस्थान सरकार
उद्योग (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प.1(14)उद्योग / ग्रुप 2 / 2014 जयपुर, दिनांक 01/09/2017

–: आदेश :–

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16.09.2016 के द्वारा **"राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार"** योजना अधिसूचित की गयी थी। योजना के कियान्वयन को सुस्पष्ट एवं तर्कसंगत बनाने के लिए निम्न दिशा निर्देश प्रदान किये जाते हैः–

1. यह योजना वित्तीय वर्ष 2016–17 से लागू है। अतः प्रथम पुरस्कार वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए ही प्रदान किये जा रहे है। फलतः इसी वित्तीय वर्ष के उत्पादन एवं टर्न ओवर के आंकड़ों को आधार मानकर पुरस्कार की पात्रता तय की जावे।
2. उत्पादन एवं टर्न ओवर में वृद्धि का प्रतिशत तय करने के लिए पुरस्कार वर्ष (2016–17) के आंकड़ों की तुलना हेतु उससे पहले के 2 वर्ष (2014–15 व 2015–16) के औसत से की जावे।
3. लघु उद्यम श्रेणी के आवेदनों के मूल्यांकन के लिये एनेक्श्चर डी I व डी II में अंकित अंकगणना तालिका को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

Small		
Turnover in Award year	Upto Rs. 50 lacs	2.5
	Rs. 50 lacs upto Rs. 75 lacs	5
	Rs. 75 lacs upto Rs. 1 Cr.	7.5
	Rs. 1 Cr. upto Rs. 1.5 Cr.	10
	Rs. 1.5 Cr. upto Rs. 1.75 Cr.	12.5
	Rs. 1.75 Cr. upto Rs. 2 Cr.	15
	Above 2 Cr.	20
Increase in Turnover	Upto 25 % increase	6
	Above 25 % upto 50 % increase	12
	Above 50 % upto 75 % increase	18
	Above 75 % upto 100 % increase	24
	Above 100 % increase	30

सचिव विभाग उद्योग शासन जयपुर

P.T.O.

4. एनेक्श्चर डी I व डी II के आगे डी III को जोड़ते हुए मध्यम उद्यम श्रेणी एवं महिला उद्यमों के मूल्यांकन के लिए निम्न तालिकाएं योजना में सम्मिलित की जाती हैं :—

For category of
Best in Growth of Business in Terms of Turn Over and
Best Woman Entrepreneur

MEDIUM			
Particular	Max. Marks	Particular of Marks	Marks
1	2	3	4
Turn over in Award year	20	Rs. 1 Cr. upto Rs. 2 Cr.	2.5
		Rs. 2 Cr. upto Rs. 3 Cr.	5
		Rs. 3 Cr. upto Rs. 4 Cr.	7.5
		Rs. 4 Cr. upto Rs. 5 Cr.	10
		Rs. 5 Cr. upto Rs. 6 Cr.	12.5
		Rs. 6 Cr. upto Rs. 7 Cr.	15
		Above Rs. 7 Cr.	20
Increase in Turnover	30	Upto 25 % increase	6
		Above 25 % upto 50 % increase	12
		Above 50 % upto 75 % increase	18
		Above 75 % upto 100 % increase	24
		Above 100 % increase	30
Production in Award year	20	Upto Rs. 25 lacs	2.5
		Rs. 25 lacs upto Rs. 50 lacs	5
		Rs. 50 lacs upto Rs. 75 lacs	7.5
		Rs. 75 lacs upto Rs. 1 Cr.	10
		Rs. 1 Cr. upto Rs. 1.25 Cr.	12.5
		Rs. 1.25 Cr. upto Rs. 1.5 Cr.	15
		1.5 Cr. & Above	20
Increase in Production	30	Upto 25 % increase	6
		Above 25 % upto 50 % increase	12
		Above 50 % upto 75 % increase	18
		Above 75 % upto 100 % increase	24
		Above 100 % increase	30

5. Best business practice एवं Best turn around and revival of Sick Industry की श्रेणी में मध्यम उद्यमों के आवेदनों के मूल्यांकन के लिए वही तालिका अपनाई जायेगी जो सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए योजना में निर्धारित है ।

6. एनेक्श्चर ए के बिंदू संख्या III—4 पर उल्लेखित वाक्य Best turn around and revival of के स्थान पर **Best turn around and revival of Sick Industries** पढा जावे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

(दुर्गा जोशी)
विशिष्ठ शासन सचिव उद्योग

मार्गदर्शिका

1. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की 12 पुरस्कार श्रेणियों हेतु अनुच्छेद बी में दिये गये आवेदन पत्र का उपयोग करना है।
2. "Best Business Practices" की तीनों श्रेणियों को छोड़ कर अन्य श्रेणी के MSME's को अनुच्छेद बी में दिये गये आवेदन का भाग 1 (1 से 15 कॉलम) एवं भाग II की तालिका, कॉलम VII एवं VIII की पूर्ति अनिवार्य है। शेष कॉलम स्वैच्छिक है।
3. "B B P" की तीनों श्रेणियों के लिए अनुच्छेद बी के सभी कॉलम एवं संलग्न दस्तावेजों की पूर्ति अनिवार्य है। आवेदन के संबंधित कॉलम में पूर्ति नहीं होने एवं उचित दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर अंकों की कटौती संभव है।
4. अनुच्छेद बी के "Type of unit" में EM II/UAM के अनुरूप Micro/Small/Medium की लागू श्रेणी अंकित हो। शेष श्रेणियाँ स्पष्ट रूप से हटा दी जावे।
5. श्रेणी Category के कॉलम में अनुच्छेद ए में अंकित श्रेणी यथा Best in Growth of Business in terms of turnover/ Best Business Practices/ Best Women Entrepreneur/ sick industries में से एक श्रेणी जिसमें आवेदन किया जाना है, अंकित होनी चाहिए।
6. Women Entrepreneur में आवेदन हेतु योजना में निर्धारित Norms के अनुरूप उद्यम को महिला स्वामित्व में होने संबंधी दस्तावेजीय प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य है।
7. हस्तशिल्पी/बुनकर श्रेणी के लिए अनुच्छेद सी में दिये गये प्रारूप का उपयोग किया जावे। अनुच्छेद बी के अंत में दिये गये सत्यापन घोषणा पत्र को इस श्रेणी के आवेदन के लिए भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
8. इस श्रेणी में आवेदन हेतु वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित होने अनिवार्य शर्त है।
9. विभिन्न आंकडे प्रस्तुत करते समय वर्ष से अभिप्राय III 2015–16, II वर्ष से अभिप्राय2016–17, एवं I वर्ष से अभिप्राय 2017–18 का अभिप्राय लिया जाना अपेक्षित है।

कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र, ...

क्रमांक : दिनांक :

प्राप्ति रसीद

यह प्रमाणित किया जाता है कि मै.. पता .... का राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार योजना–2016 के तहत सूक्ष्म / लघु / मध्यम उद्यम की श्रेणी I/II/III/IV/ हस्तशिल्पी / बुनकर वर्ग में (भिन्न श्रेणी को काट दें) आवेदन पत्र दिनांक .... को प्राप्त हुआ।

आवेदन पत्र के सभी कॉलम पूर्ण हैं। कॉलम सं. .... अपूर्ण अथवा रिक्त है।

आवेदन के साथ निम्नलिखित एवं प्रमाणित दस्तावेज संलग्न प्राप्त हुए हैं:

1. .... 2. .... 3. .... 4. ....

महाप्रबंधक
जिला उद्योग केन्द्र, ...